SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता बनाम धर्मनिरपेक्षता में अंतर

भूपेन्द्र करवंदे, Ph.D., विधि विभाग
शा. जे. यो. छ. ग. महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
रत्ना श्रीवास्तव, शोधार्थी, विधि विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
भूपेन्द्र करवंदे, Ph.D.
रत्ना श्रीवास्तव

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/09/2023
Revised on : -----
Accepted on : 09/09/2023
Plagiarism : 00% on 01/09/2023

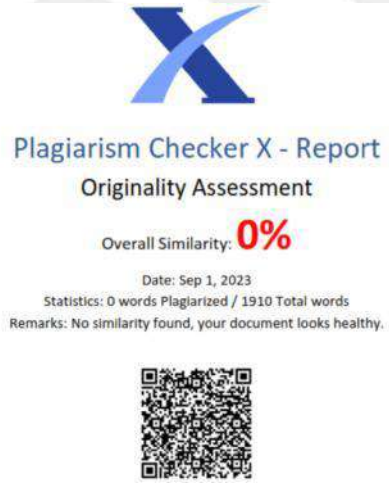

शोध सार

आजादी के लिए जो उच्च आदर्श हमारे देश के लिए मार्गदर्शक हुए उन्हें संविधान निर्माता हमेशा के लिए संविधान में संजोकर रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने उन आदर्शों को संविधान में उपबंधित किया, जिनमें से पंथनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण उच्च आदर्श है जिसके बिना हमारे देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, परन्तु जनता में धर्मनिरपेक्षता तथा पंथनिरपेक्षता शब्दों के अर्थों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति देखी जाती है। धर्मनिरपेक्षता तथा पंथनिरपेक्षता के बीच अंतर को समझना तथा हमारे देश के लिए पंथनिरपेक्षता के महत्व को जानना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द

संविधान, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष.

परिचय

अंग्रेजी शब्द सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता किया जाता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता, बल्कि यह पंथनिरपेक्षता को स्वीकार करता है। मूल संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द नहीं था। संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जबकि विश्व के अधिकतर देशों के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे देश में प्रायः यह देखा जाता है कि जनमानस, विद्यार्थियों और विद्वानों द्वारा बार–बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाता है तो क्या वास्तव में धर्मनिरपेक्षता तथा पंथनिरपेक्षता शब्द एक ही है या दोनों अलग–अलग हैं? आजकल

जहाँ एक ओर सरकार यू.सी.सी. को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो लोग इसका विरोध कर रहें हैं। उनका कहना है कि यू.सी.सी. हमारे संविधान में व्यक्त धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लंघन करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब तीन तलाक और राम मंदिर जैसे बड़े मामलों में अपना फैसला दिया तब भी इसके विरोध में यह कहा गया कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सुर्प्रीम कोर्ट कैसे किसी धार्मिक मान्यताओं के विरूद्ध निर्णय दे सकता है इसलिए यहाँ पर कुछ सवालों के उत्तर जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता की अवधारणा और उनके अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सके:

- सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता ये तीनों शब्द समान हैं या अलग–अलग हैं?
- धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?
- क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वही है जो हम जानते हैं?
- पंथनिरपेक्षता क्या है?
- संविधान में क्यों धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया?
- सेक्युलरिज्म क्या है? क्या इसका संबंध धर्म से है?

सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति

सेक्युलर शब्द का प्रयोग सबसे पहले मध्यकालीन यूरोप में हुआ था। उस समय यूरोप की राजनीति में चर्च या रिलीजन का बहुत दखल हुआ करता था। यहाँ तक की राज्य को दैवीय संस्था माना जाता था और यह माना जाता था कि चूँकि चर्च या रिलीजन उस दैवीय संस्था का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए राज्य के जितने भी कार्य होते थे उसमें चर्च का हस्तक्षेप अवश्यंभावी था। बाद में जब यूरोप में धर्म सुधारक आंदोलन हुए तो लूथर और केल्विन जैसे विद्वानों द्वारा वहाँ के लोगों को धीरे–धीरे बताया गया कि जो धर्म (रिलीजन) है वह हमें दूसरी दुनिया की बारिकियों और बेहतरी का निर्णय लेने का अधिकार देता है। परंतु जो राज्य से संबंधित विषय है उन्हें धर्म रिलीजन से अलग कर देना चाहिए। जब राज्य संप्रभु है तो वह चर्च या रिलीजन से क्यों आदेशित हो? जब यूरोप में यह भाव आया कि रिलीजन या चर्च को राज्य के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो इसी को सेक्युलरिज्म कहा गया अर्थात् राज्य अब धर्म से आदेशित नहीं होगा। राज्य धर्म से विमुख होगा, हर धर्म के लिए राज्य का एक ही दृष्टिकोण होगा। इस प्रकार यूरोप में सेक्युलर शब्द का आरंभ हुआ।

जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान में भी सेक्युलर शब्द को स्वीकार किया गया। सेक्युलर शब्द स्वीकार होने के बाद जब संविधान में उसका हिन्दी अनुवाद किया गया तो उसके लिए विवाद और चर्चाएँ की गयी। जिसका निष्कर्ष निकाला गया कि सेक्युलर शब्द का जो सही अर्थ है वह धर्मनिरपेक्ष नहीं अपितु पंथनिरपेक्ष है, इसलिए संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द को अपनाया गया है।

धर्म शब्द का अर्थ

धर्म का अर्थ होता है "धारयते इति धर्मः" अर्थात् जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म शब्द का प्रयोग चार अर्थों में किया जाता है, जिसमें स्वभाव, कर्त्तव्य, पंथ या संप्रदाय और साधना पद्धति, इसके अंतर्गत आते हैं। महाभारत में कहा गया है– "लोक जीवन में जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है"। धर्म की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा मनुस्मृति में दी गई है, जिसके अनुसार धर्म शब्द का अर्थ नैतिकता या जीवन शैली से है और इसमें धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं, जो निम्न हैं:

- धैर्य।
- क्षमा।
- संयम।
- चोरी न करना।

- स्वच्छता।
- इंद्रियों पर नियंत्रण।
- बुद्धि।
- ज्ञान।
- सत्य बोलना।
- क्रोध न करना।

मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने धर्म को निम्न प्रकार से परिभाषित किया:

- दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं।
- सत्य के समान कोई बड़ा धर्म नहीं।

तुलसीदास की तरह ही आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने धर्म का अर्थ नैतिकता बताया। महात्मा गांधी का कहना था कि "धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है" अर्थात् राजनीति में धर्म या नैतिकता के साथ आना चाहिए न कि लालच के भाव से।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, राज्य का धर्म से निरपेक्ष या धर्म से अलग रहना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म से दूरी बनाकर रखेगा और ऐसे राज्य का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रांस में सरकार न तो किसी विशेष धर्म को सुविधा देती है न तो इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव करती हैं। फ्रांस में यह सिद्धांत 18वीं शताब्दी से चला आ रहा हैं।

पंथनिरपेक्षता का अर्थ

जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, जहाँ किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता तथा राज्य अपना कार्य धर्म को आधार बनाकर नहीं करता है, वह राज्य एक पंथनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने पंथनिरपेक्षता के बारे में अपने विचार निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं:

महात्मा गांधी के अनुसार: कोई भी व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता लेकिन उसके पंथ अलग–अलग हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम में रोहिंग्य, सिया, सुन्नी, बौद्ध में हीनवान, महायान, जैन में श्वेताम्बर, दिगम्बर आदि।

डॉ. राधाकृष्णनन के अनुसार: पंथनिरपेक्ष होने का तात्पर्य संकुचित धार्मिकता पर चलना या अधर्मी होना नहीं है, वरन् इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार: ऐसा नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं किया जाएगा। राज्य किसी धर्म को किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा।

संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग ही क्यों?

भारत एक पूर्णतः पंथनिरपेक्ष देश है। भारत में पंथनिरपेक्षता को अपनाए जाने के निम्न कारण हैं:

- स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आंदोलनों के समय अंग्रेजों ने देश के अंदर सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हो गया। संविधान निर्माता धर्म को राजनीति से अलग रखकर इस तरह की विभाजन जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहते थे।
- संविधान निर्माता जानते थे कि उस समय देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या 11 करोड़ के करीब थी, इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों को बनाए रखने के लिए तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए भारत का पंथनिरपेक्ष होना आवश्यक था।

- संविधान निर्माता जानते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही विकास का आधार है।
- लोकतंत्र की नींव समानता है। चूंकि देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसलिए पंथनिरपेक्षता को अपनाना आवश्यक है।

यही कारण था कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने काफी बहस के बाद भी पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया, परंतु पंथनिरपेक्षता की भावना को कई अनुच्छेदों में व्यक्ति किया गया था।

धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में मूलभूत अंतर

- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म से अलग रहना या दूरी बनाए रखना। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना और सभी धर्मों को समान सहूलियत प्रदान करना।
- धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता की बात करता है, जबकि पंथनिरपेक्षता आस्तिक है।
- धर्मनिरपेक्षता नैतिकता से दूर होने की भावना रखता है। पंथनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है।
- धर्मनिरपेक्षता धर्म से पूर्णतः अलग होने की बात करता है, जबकि पंथनिरपेक्षता धर्म से अलग होने की नहीं बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करता है।

पंथनिरपेक्षता का महत्व

भारतीय समाज में पंथनिरपेक्षता को जीवन शैली के रूप में अपनाया गया है। पंथनिरपेक्षता नैतिकता से जुड़ा हुआ शब्द है। वैसे तो पंथनिरपेक्षता शब्द मूल संविधान में नहीं था, परंतु संविधान के कई अनुच्छेदों में पंथनिरपेक्षता के भाव को स्पष्ट किया गया था। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत कुछ प्रावधान निम्न हैं, जिनमें पंथनिरपेक्षता की भावना दिखाई पड़ती है:

- अनुच्छेद 14 में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना हर नागरिक को विधि के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा।
- अनुच्छेद 15 में भी धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया जाता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी धर्म को मानने, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने तथा धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि करने की स्वतंत्रता दी गई है।
- अनुच्छेद 325 के अंतर्गत निर्वाचन सूची में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद राजनीति में पंथनिरपेक्षता के भाव को स्पष्ट करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

संविधान में यदि धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपनाया गया होता तो देश में अल्पसंख्यक अवधारणा ही समाप्त हो गई होती, परंतु भारत में सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। पंथनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पंथनिरपेक्षता आवश्यक है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलना तथा किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव न करना ही पंथनिरपेक्ष राज्य का उद्देश्य होता है, परंतु अक्सर देखा जाता है कि कुछ संकुचित विचारधारा के कट्टरपंथी लोग देश में संप्रदायिक दंगो को भड़काते रहते हैं जो देश की पंथनिरपेक्षता को नुकसान पहुँचाता है। पूर्व लोकसभा सदस्य, न्यायविद् और संविधान विशेषज्ञ "श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी" का भी कहना था कि – "सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारी पंथनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा खतरा है"।

एक महत्वपूर्ण वाद "एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ" 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने "सेक्युलरिज्म" को संविधान का मूल ढाँचा कहा है, इसलिए देश के नागरिकों तथा सरकार का यह दायित्व है कि देश की पंथनिरपेक्षता को बचाए

रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। निम्न बातों पर ध्यान दिया जाए तो देश की पंथनिरपेक्षता बनी रह सकती है:

- सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे ऐसे दंगों को समय रहते रोका जा सके।
- देश में समान नागरिक संहिता को जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए जिससे सर्वधर्म समभाव वाले सिद्धांत को संरक्षण प्रदान हो सके।
- धर्म के नाम पर होने वाली वोट बैंक की राजनीति पर पूर्णतः रोक लगायी जानी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. https://www.geomorallife.com/2022/09/dharmnirpeksh-aur-panthnirpeksh-kya-hai.html
2. https://www.gkexams.com/ask/50080-PanthNirpekshata-Par-Nibandh
3. http://www.iasplanner.com/civilservices/hindi/ias-pre/gs-polity/secularism-parliamentary-presidential-republic
4. https://www.jansatta.com/politics/internal-and-eexternaal-problems-before-country-keep-on-changing-they-affect-the-progress-projects-of-the-nation/1764397/lite/#amp__tf=From%20%251%24s&aoh=16894323333765&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
5. https://www.drishtiias.com/hindi/paper1/secularism-4
6. पाण्डेय, जय नारायण, (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश।
7. तकवानी, सी. के., (2022), भारत का संविधान, सिंघल लॉ पब्लिकेशंस, दिल्ली।

****